भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 677

06 दिसंबर, 2023 के लिए प्रश्न

मालदीव को चीनी का निर्यात

677. श्री के. सुधाकरन:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उपभोक्ता मामले मंत्रालय को भारत और मालदीव के बीच हुए द्विपक्षीय व्यापार करार (बीटीए) की जानकारी है जिसमें मालदीव में निर्यात के लिए चीनी सहित आवश्यक वस्तुओं को मौजूदा अथवा भावी प्रतिबंधों से छूट दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को हाल ही में विदेश मंत्रालय से मालदीव सरकार के स्वामित्व वाले एसटीओ को चीनी के निर्यात-आदेश की अनुमति देने के लिए कोई पत्र प्राप्त हुआ है;

(घ) क्या यह सच है कि डीजीएफटी की अधिसूचना के जरिए मालदीव में चीनी सहित आवश्यक वस्तुओं के निर्यात को किसी भी मौजूदा अथवा भावी प्रतिबंधों से स्पष्ट रूप से छूट दिए जाने के बावजूद चीनी निदेशक ने इसकी अनुमति देने से इंकार कर दिया है;

(ङ.) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या मंत्रालय इस बात से सहमत है कि भारत और मालदीव के भू-राजनीतिक महत्व को देखते हुए दोनों देशों के बीच व्यापार-संबंधों के लिए चीनी सहित आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति महत्वपूर्ण है; और

(छ) यदि हां, तो मालदीव के साथ उक्त बीटीए की वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क) और (ख): सरकार ने विदेश व्यापार महानिदेशालय के दिनांक 12.07.2021 की अधिसूचना संख्या 14/2015-2020 के माध्यम से भारत और मालदीव के मध्य द्विपक्षीय व्यापार समझौता (बीटीए) अधिसूचित किया है।

...2/-

(ग): खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग को मालदीव सरकार के स्वयं के एसटीओ को चीनी का निर्यात आदेश की स्वीकृति के लिए विदेश मंत्रालय से चीनी मौसम 2023-24 में कोई भी पत्राचार प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ), (ड.), (च) और (छ): मालदीव को चीनी के निर्यात की अनुमति देने के लिए विदेश मंत्रालय से चालू मौसम में आज की तारीख तक कोई भी अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

वर्ष 2019-20 से भारत से मालदीव को चीनी निर्यात का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष (अप्रैल से मार्च तक)	**निर्यात की गई मात्रा (टन में)**
2019-20	**1171.1**
2020-21	**3112.9**
2021-22	**4296.3**
2022-23	**5635.97**

(स्रोत: डीजीएफटी)

इसके अतिरिक्त, चालू चीनी मौसम 2023-24 में चीनी उत्पादन की अनुमानित कमी को देखते हुए; और उचित मूल्य पर घरेलू खपत हेतु चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, दिनांक 18.10.2023 की डीजीएफटी अधिसूचना संख्या 36/2023 के माध्यम से चीनी (कच्ची/सफेद/परिशोधित/ऑर्गेनिक) के निर्यात को अगले आदेश तक 'प्रतिबंधित' श्रेणी में रखा गया है।

भारत सरकार के साथ द्विपक्षी व्यापार समझौता रखने वाले किसी भी देश को, चीनी सहित आवश्यक वस्तुओं का निर्यात घरेलू खपत के बाद स्टॉक की उपलब्धता के अनुसार किया जा सकता है।

*****